

क्रं. आयो. विकास/96/35284 -341

दिनांक: 22.2.96

परिपत्र संख्या 266

विषय: ट्रिप/पंचारा सैटल पर ऋण वितरण एवं अनुदान
के सम्बन्ध में

जैसाकि आपको विदित हो है कि कृषि विभाग के आदेश क्रमांक 3825/3930 दिनांक 4.12.95 के द्वारा अनुदान राशि बढ़ा दी गई है जिससे कृषकों में पंचारा सैटल का भाग बढ़ गई है। अनुदान वितरण के सम्बन्ध में कृषि विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार 2 से 3 माह तक अनुदान प्राप्त होना संभव नहीं हो रहा है। अतः यह उचित समझा गया है कि अनुदान से जुड़ी हुई अन्य ऋण वितरण की योजनाओं को भांति हो ^{ट्रिप/पंचारा संस्था में} जबतक अनुदान प्राप्त नहीं हो तबतक ऋण का वितरण नहीं किया जावे।

इस सम्बन्ध में कृषक सदस्य से प्राप्त ऋण आवेदन पत्र यदि वे नियमानुसार हैं तो उनके ऋण एवं अनुदान को राशि अलग अलग दशांति हुए ऋण स्वीकृत किया जावे एवं उसकी प्रति ऋण सदस्य एवं कृषि विभाग को भेज दी जावे। उसके साथ में कृषक द्वारा अनुदान हेतु प्राप्त आवेदन पत्र भी संलग्न करके भेजा जावे। जब अनुदान की राशि प्राप्त हो जावे तब अनुदान एवं ऋण की राशि दोनों को सम्मिलित करते हुए कृषक ऋण या डोलर जहाँ जैसी व्यवस्था है वहाँ ऋण सदस्य या डोलर को बैंक द्वारा भुगतान किया जावे। कृपया यह देख लें कि अनुदान का फार्म कृषि विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पूर्ण हो। ध्यान में इस प्रक्रिया के अनुसार ही पंचारा सैटल हेतु ऋण वितरण किया जावे। अन्य आदेशों तक यह प्रक्रिया जारी रहेगी।

प्रबन्ध निदेशक

प्रतिनिधि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. राजस्टर, सहकारी समितियाँ, राज. जयपुर।
2. संयुक्त राजस्टर, सहकारी समितियाँ, खण्ड - - - - -
3. मैनेजर, - - - - - रा.रा.स.भू.वि.बैंक लि०, जयपुर
4. सचिव, प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक लि०, - - - - -
5. क्षेत्रीय प्रबन्धक, क्षेत्रीय कार्यालय रा.रा.स.भू.वि.बैंक लि०, खण्ड - - - - -
6. क्षेत्रीय प्रबन्धक - - - - - बैंक
7. जन सम्पर्क अधिकारी बैंक
8. एम.डी.तेल बैंक